

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(9095)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/20/02273/2021

जयपुर, दिनांक 28/06/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सहायक प्रोग्रामर्स एवं सूचना सहायक को निम्नलिखित पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में पत्राचार/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	मेरिट न.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	261 (2011)	श्री जगदीश चौधरी, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- रोखला, जोधपुर।	M. Sc. (C.S.)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2	213 (2013)	श्री महेश कुमार शर्मा, सहायक प्रोग्रामर	आरएमएससी, जिला औषधि भण्डार, झालावाड़।	एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस (लेटरल एंट्री अन्तिम वर्ष)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
3	1546 (2013)	श्री तेजाराम बिश्नोई, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- लोहावट, जोधपुर।	M.C.A.	Jaipur National University, Jaipur
4	257 (2011)	श्री विनोद कुमार पालीवाल, सहायक प्रोग्रामर	डी. जी. (आंतरिक सुरक्षा सेल), पुलिस गृह विभाग, जयपुर	Master Diploma in Alternative Medicine (M.D.A.M)	Acupressure Acupuncture Research Training Institute (ACRT), Jodhpur

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— 54 —

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्ष.....।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
3. कार्मिक.....।
4. संबंधित निजी/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)